विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096
टेलिफोन. 28294719. 28294763 फैक्स. 28291385/28291754

****

सार्वजनिक सूचना सं. 12 /2015 दिनांक. 28-09-2015

यह देखने में आया है कि विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले ईओयू अतिरिक्त आइटमों (कच्चा माल तथा पूंजीगत माल) को शामिल किए जाने के संबंध में एलयूटी अनुरोध का एडेंडम प्रस्तुत कर रहे है । किंतु ऐसा करते समय वे इनके लिए औचित्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

विकास आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी ईओयू यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे निम्नलिखित क्रियाविधि (प्रोसिज़र) का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात ही एडेंडम प्रस्तुत किया करें:-

(i) यूनिट निर्धारित फार्मेट में एडेंडम प्रस्तुत करें ।

(ii) प्रबंध निदेशक, निदेशक, पार्टनर अथवा व्यक्ति जो महाप्रबंधक के पद से नीचे का व्यक्ति न हो, द्वारा एडेंडम पर हस्ताक्षर किए जाएं ।

(iii) यूनिट बोर्ड रेज्युलेशन अथवा पार्टनरों द्वारा प्राधिकार जिसमें व्यक्ति को एडेंडम / लीगल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा ।

(iv) एडेंडम के साथ प्रस्तावित माल के प्रापण का औचित्य प्रस्तुत किया जाए ।

(v) आयात / कच्चे माल के प्रापण के मामले में ऐसे निर्यात आइटम जिसके लिए कच्चा माल प्रस्तावित किया गया हो, आयात / प्रापण के लिए प्रस्तावित आइटम के सामने एडेंडम में इसका उल्लेख किया जाए ।

(vi) यूनिट यह भी उल्लेख करेगा कि प्रस्तावित आइटम प्रतिबंधित / निषिद्ध नहीं है ।

(vii) यदि कच्चे माल में कोई परिवर्तन होता है, तो इसका कारण बताते हुए प्रोसेस फ्लो चार्ट भी प्रस्तुत किया जाएगा ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
उप विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

सं.सीप्ज़-सेज़/ईओयू/जेडीसी/एमआइएससी/2008-2009/15359 दिनांक. 22 सितंबर, 2015

प्रतिलिपिः- 1. विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी ईओयू यूनिट
2. सार्वजनिक सूचना फाइल
3. विआका/संविआका